

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

संशोधन

क्र. 659-स्था.-निर्वा.-न.पा.-2016.—नगर पालिक निगम, इन्दौर के आम निवाचन 2014-15 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 22 कि उपबंध के अनुसरण में, आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-65-02-2015-तीन-न.पा.-267, दिनांक 6 फरवरी, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 58, दिनांक 6 फरवरी, 2015 में प्रकाशित वार्ड क्रमांक 18 (अट्ठारह) से निर्वाचित पार्षद श्री भूपेन्द्र पिता लालताप्रसाद का नाम त्रुटिवश “भूपेन्द्र उर्फ शेखर” अधिसूचित हो गया है:—

संशोधित सूची

क्र.	नगर निगम का नाम जिला का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/पार्षद	वार्ड क्र. केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से संबद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(7)
			(4)	(5)	(6)
1.	नगरपालिक निगम, इन्दौर, जिला इन्दौर.	पार्षद	18	अट्ठारह	भूपेन्द्र पिता लालताप्रसाद इंडियन नेशनल कॉम्प्रेस.

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।